न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 21/2012 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2012/00026

1. पुष्पादेवी पत्नी श्री इन्द्रचन्द जी झंवर जाति झंवर निवासी सदर बाजार नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुभाष पुत्र गणेशमल जाति सेठिया नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. गणेशमल पुत्र मेघराज जाति सेठिया निवासी नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

2/1 शांतिदेवी पत्नी गणेशमल
2/2 सुरेश कुमार पुत्र गणेशमल
2/3 मनोज पुत्र गणेशमल
2/4 सरोज पुत्री गणेशमल

3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा।
4. अजयपाल ज्याणी उपखण्ड अधिकारी कोलायत कार्यवाहक उपखण्ड अधिकारी नोखा।

– रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः अभिभाषक अपीलांट्स आन्नद बजाज
अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 विनोद कुमार पुरोहित

निर्णय

दिनांक 27.03.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 17.02.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि तहसील नोखा का खसरा नंबर 701/569 तादादी 1.04 हैक्टयर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्यां 1 के पिता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 गणेशमल पुत्र मेघराज के नाम रिकॉर्ड दर्ज रही। गणेशमल पुत्र मेघराज ने उक्त भूमि को अपीलांट पुष्पादेवी पत्नी इन्द्रचन्द को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा विक्रय कर दी। अपीलांट पुष्पादवी के नाम इंतकाल संख्या 480 दिनांक 05.11.2011 दर्ज हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील को स्वीकार करते हुए इंतकाल संख्या 480 दिनांक 05.12.2011 निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 17.02.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय ने अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस एवं लिखित बहस में कथन किया कि उक्त वादगत भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बाद विभाजन अपने पिता गणेशमल आदि के खिलाफ भी खसरा नंबर 701/569 तादादी 1.04 हैक्टयर के बाबत् विभाजन का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिवादी गणेशमल द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया पर बाद बहस उक्त वाद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सुभाष का खारिज फरमा दिया गया। जिसकी अपील भी न्यायाल राजस्व

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपील प्राधिकरण बीकानेर व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा खारिज फरमा दी गई। जो निर्णय अन्तिम हो चुका है। मेघराज जी द्वारा खरीदशुदा वादगत भूमि उनकी मृत्यु के बाद उनके हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों के निहित होती है। जिसके तहत् उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों में पांच पुत्र क्रमंशः गणेशमल, सूरजमल, छगनलाल, माणकचन्द व दूलीचंद हुए। उक्त वादगत कृषि भूमि उनके पुत्रों के नाम ब.हि.ब राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो गया तथा गणेशमल का हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा अपीलांट द्वारा खरीदशुदा है तथा उक्त बैयनामा के आधार इंतकाल संख्या 480 दिनांक 05.11.2011 दर्ज हुआ। जिसे निरस्त किया जाना कतई विधि सम्मत नही था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने पिता के जीवनकाल में वादगत कृषि भूमि में किसी प्रकार कोई हक व हिस्सा एवं अधिकार प्राप्त नहीं था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का अपने पिता गणेशमल के जीवनकाल में उक्त मेघराज जी की खरीदशुदा भूमि में कोई हक व हिस्सा कानूनन नही बनता है। रेस्पोडेन्ट सख्या 1 सुभाष को कोई कॉज ऑफ एक्शन न तो हासिल होता है और न ही डिस–क्लॉज होता हैं। पिता की मौजूदगी मे पुत्र का हिस्सा नही होता है। उक्त बिन्दुं के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने निम्नलिखित कानून के प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टिांत का हवाला दिया।

01. Hindu Succession Act 1956 sec 8 & Hairs in class 1
02. order delhi H.C dt. 24-09-2007 IMP Para 1,2,5, & 7
03. 2009(1) RRT 162 H.N para 8, 9
04. 1995(2) CCC page 94 AP HNA & Pera 13
05 AIR 1986 SC page 1753 pera 17, 20 & 22
06 AIR 2007 SC 1808 (1)
07 RLW 2008(2) RJ SC 1115
08 Order S.C Dt 12-02-2008 IMP Para 2,3,4,11,12,14
09 RRT 2009 (1) SC Para 360
10. 2020 DNJ (SC) 495
11. 2024(2) cc 446 (raj)
12. 2016 DNJ (SC) 258

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सुभाष द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद व काउण्टर क्लेम उपखण्ड अधिकारी नोखा द्वारा खारिज फरमा दिया गया था। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपीले भी राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा खारिज फरमा दी गई। जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेंर में प्रस्तुत अपीले भी दिनांक 31.07.2024 को खारिज फरमा दी गई। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सुभाष द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष रिट याचिका नम्बर 12568/2025 प्रस्तुत की गई। जिसके भी माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी व रेवेन्यू बोर्ड अजमेर द्वारा पारित आदेशों पुष्टि की गई। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक विधि अनुसार किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सुभाष का नहीं माना गया है। जिससे भी आदेश जैर अपील विधि–विरूद्ध होना प्रथम दृष्टया ही प्रमाणित है। इंतकाल संख्या 480 दिनांक 05.12.2011 को दर्ज किया गया था तथा उपखण्ड अधिकारी नोखा में विचाराधीन स्थगन आदेशों, काउन्टर क्लेम व दावा अंतिम निर्णय हो चुका था जिसकी अपीले प्रस्तुत होने पर दिनांक 09.12.2011 को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा विवादित भूमि ग्राम नोखा के खसरा नंबर 260 तादादी 0.13 हैक्टयर ख. न 261 तादादी 2.66 हैक्टयर, ख.न. 569 तादादी 2.41 हैक्टयर कुल तादादी 5.20

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हेक्टेयर के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति कायर रखने के आदेश प्रदान किये गये। जो माननीय अदालत मातहत के निर्णय तक प्रभावशील थे, परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 4 श्री अजयपाल ज्याणी ने बिना अधिकार तथा जानबूझकर राजस्व अपील अपीध्ल अधिकारी बीकानेर के आदेश की खिलाफवर्जी व अवज्ञा करते हुए तथा इस तथ्य की जानकारी रेस्पोडेन्ट पुष्पा देवी द्वारा लिखित में निवेदन करने पर भी उन पर बिना कोई गौर फरमाये विधि व न्यायिक दृष्टांतों के विपरित धारा 52 टीपी एक्ट का सहारा लेकर इंतकाल बहक रेस्पोडेन्ट पुष्पा देवी खारिज करने का आदेश जैर अपील पारित किया। अदालत मातहत को जब हायर व सुपीरियर कोर्ट का स्थगन आदेश प्रभावशील था कि जानकारी होते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 4 कार्यवाहक उपखण्ड अधिकार नोखा श्री अजयपाल ज्याणी को किसी किस्म का कोई कार्यवाही नही करनी चाहिए थी। अपीलांट एक सद्भाविक क्रेता है। इसके अलावा जब वाद ही विचाराधीन नहीं रहा एवं वाद ही खारिज हो चुका है तो धारा 52 टीपी एक्ट कतई लागू नहीं होता है। और न ही कोई दस्तावेजात Void होते है और न ही वॉयड घोषित किए जाने विधि सम्मत है। जिस बाबत न्यायिक दृष्टांत स्पष्ट है।

.1 2013(2) Apex court judgment 218 SC
2 AIR 1956 SC 593
3 2010 Supereme (SC) 503
4 2013 Supereme (SC) 105
5 AIR 2013 SC 2389

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सुभाष द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर थी। जिसमें सर्वप्रथम अदालत मातहत को मियाद का बिन्दु तय करना करना लाजमी था। परन्तु अदालत मातहत ने बिना मियाद का बिन्दु तय फरमाये आदेश जैर अपील फरमया है।

1. 2006 Supreme (Raj) 281
2. 2006 Supreme (Raj) 281
3. 1997 Supreme (SC) 1057

अपीलांट द्वारा वादगत कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीदशुदा है जिसे आज तक किसी भी सिविल न्यायालय के समक्ष चुनौति नहीं दी गई है।

1. 2025 Supreme (SC) 2101
2. Civil appeal no. 3674 of 2012

अतः अपील अपीलांट मय खर्चा स्वीकार फरमाते हुए आदेश जैर अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा दिनांक 17.02.2012 निरस्त फरमाया जावें। इंतकाल संख्या 480 बहक अपीलांट बदस्तुर कायम रखा जावें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दौराने बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, नोखा के समक्ष नियमित राजस्व दावा जैरकार है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दावा के जैरकार रहते वादगत भूमि का बैयनामा किया है तथा दावा के अस्तित्व में रहते ही अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित किया है ऐसे आदेश व बैयनामें डाक्टाईन ऑफ लिस पेंडिस से हिट होते है। तहसीलदार जैर इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया, ना ही नोटिस ही दिया गया। सारी कार्यवाही इकतरफा तौर पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध की गई होने से कानून की निगाह में शून्य है। तहसीलदार इंतकाल तस्दीक करने से पूर्व न तो कब्जे की जांच की गई ना ही पूर्व से चले आ रहे मुकदमों की बाबत जांच की गई, जो

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

लेण्ड रिकॉर्ड रूल्स की अवहेलना है। तहसीलदार नोखा ने इंतकाल दर्ज करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पक्षकार नही बनाया और ना ही सुनवाई का अवसर दिया। सारी कार्यवाही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से छिपाकर की गई, जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अधिकारों एवं हितों पर बेजा असर पड़ा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने पीठ पिछे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित पारित किया गया होने से कानून की निगाह में शून्य है। अपीलांट द्वारा जो बैयनामा किया गया है वह पूर्व में हुए विभाजन के बाद के नम्बरों का किया गया है जबकि वे नंबर राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय के बाद कानूनन अस्तित्व में नही थे, इस महत्वपुर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा ने इंतकाल दर्ज करने का आदेश पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2012 यथावत रखा जावे और अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

4– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांतों तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। उक्त वादगत भूमि मेघराज जी सेठिया की स्वयं की जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 07.01.2.1971 से खरीदशुदा थी उनका स्वर्गवास दिनांक 18.05.1993 को हुआ। मेघराज जी की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हुआ जोकि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने से उनके पुत्रगण मालिक व काबिज काश्तकार हुए तथा उन्होने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा विक्रय कर दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सुभाष का अपने पिता गणेशमल के जीवनकाल में उक्त मेघराज जी की खरीदशुदा भूमि में कोई हक व हिस्सा कानून नही बनता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कानून अपील पेश करने की लोकस स्टेण्डाई नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 17.02.2012 को निरस्त किया जाता है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त